फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमति लक्ष्मीदेवी पत्नि स्व. चतरसिंह राजपूत निवासी रावड़दा हाल बाडमेर वगैरा

बनाम

श्रीमति घीसीबाई पत्नि देवीलाल नाई निवासी रावड़दा तहसील बेगूं वगैरा

प्रकरण संख्या 055/2023 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.23	राजस्व अपील बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री सम्पत कुमार जणवा उपस्थित। उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत अपील तहसीलदार, बेगूं द्वारा उनके प्र. सं. 05/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 एवं नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध पेश की जो कि बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण को अपील अपीलार्थीगण ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। हमने अपील मेमों एवं उसके संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके प्र. सं. 05/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 की पालना में जारी नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 30.09.2014 के विरूद्ध हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की है। हमने अधीनस्थ तहसीलदार बेगूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 एवं नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 30.09.2014 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार तहसीलदार बेंगू द्वारा उक्त प्र. सं. 05/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2014 विधिवत् सुनवाई करके जारी किया गया है जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 997 दिनांक 30.09.2014 पारित किया गया है जो कि धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आता है जिस पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है।	.....लगातार

	ऐसी स्थिति में उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। हाजिर अधिवक्ता अपीलार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	